391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032025-261929
CG-DL-E-25032025-261929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946
No. 146]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2025

सा.का.नि.181(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रशिक्षण निदेशालय (सिवाय महिला वृत्तिक प्रशिक्षण), रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, समूह “ग” गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय में बहुकार्य कर्मचारिवृंद, अवर श्रेणी लिपिक या टंकक, आशुलिपिक श्रेणी-II, प्रवर श्रेणी लिपिक या रोकड़िया या सहायक छात्रावास अधीक्षक, लेखापाल या आंतरिक लेखा परीक्षक या केयर टेकर या छात्रावास अधीक्षक या क्रय सहायक और हिंदी टंकक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय (सिवाय महिला प्रशिक्षण) समूह 'ग' गैर-तकनीकी पद भर्ती नियम, 2025 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं, आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

4. निरर्हता – वह व्यक्ति -

क. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. बहुकार्य कर्मचारिवृंद	200* (वर्ष 2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र। **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नत द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पणी**: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना है।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय- अध्यक्ष; 2. उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय सदस्य; तथा 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	**पदों का संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अवर श्रेणी लिपिक या टंकक	126* (वर्ष 2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकेगा)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.)	अचयन

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के आधार पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप हैं)। कौशल परीक्षण मानदंड केवल कंप्यूटर पर होंगे। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष । टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) पचासी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (ii) दस प्रतिशत विभागीय अर्हता परीक्षा द्वारा; और (iii) पांच प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- **(i)** कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पचासी प्रतिशत; **(ii)** रिक्तियों का दस प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद में से भरा जाएगा, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-**	लागू नहीं होता।

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर, उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1**: परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु-सीमा सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में पचास वर्ष तक है। **टिप्पण 2**: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर बहुकार्य कर्मचारिवृंद में भरी जाएंगी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रु.) में उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय- सदस्य; तथा 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक - सदस्य।	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद हो या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. आशुलिपिक श्रेणी -II	25* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ii) कौशल परीक्षण:- (क) 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट का श्रुतलेख; (ख) कंप्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) प्रतिलेखन।

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय- अध्यक्ष; .2 उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय- सदस्य; तथा 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों का संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. उच्च श्रेणी लिपिक या रोकड़िया या सहायक छात्रावास अधीक्षक (ये पद परस्पर परिवर्तनीय हैं)।	99* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)।	अचयन

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा; जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक या टंकक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय- अध्यक्ष; 2. उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय- सदस्य; तथा 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य के पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की हो। (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखतें हों, अर्थातः- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट यो हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के आधार पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप है)।		

(iii) स्थापना या लेखा या भंडार अनुभाग या प्रशिक्षण संबंधी कार्य के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

पद का नाम	पदों का संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. लेखापाल या आंतरिक लेखा परीक्षक या केयर टेकर या छात्रावास अधीक्षक या क्रय सहायक (ये पद परस्पर परिवर्तनीय हैं)।	62* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)।	अचयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा; जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक या रोकड़िया या सहायक छात्रावास अधीक्षक जिन्होंने उपर्युक्त उल्लिखित किन्हीं एक या अधिक पदों पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है तथा किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय- अध्यक्ष; 2. उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय- सदस्य; तथा 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (25500-81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक या रोकड़िया या सहायक छात्रावास अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो। (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखतें हों, अर्थातः- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के आधार पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के अनुरूप है)।		

(iii) पद से संबंधित लेखा या लेखा परीक्षा या केयर टेकर, छात्रावास या क्रय क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।		

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. हिन्दी टंकक।	01* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण और; कम्प्यूटर पर हिन्दी में टाईपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी में टाईपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट (30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव के आधार पर 9000 केडीपीएच के अनुरूप है)। कौशल परीक्षण मानदंड केवल कंप्यूटर पर होंगे। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा	सीधी भर्ती के द्वारा।

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

	करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय- अध्यक्ष; 2. उप निदेशक भारतीय कौशल विकास सेवा, प्रशिक्षण महानिदेशालय- सदस्य; तथा 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकारी कार्यालय के सहायक निदेशक - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[डीजीटी-स्था./11/2023-ओ/ओ वि.स.(स्था.1) (ई-61462)]

ईश्वर सिंह, उपमहानिदेशक (प्रशिक्षण)।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2025.

G.S.R 181.(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training(except Women Occupational Training), Directorate General of Employment and Training, Group ‘C’ Non-Technical posts Recruitment Rules, 2012, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff, Lower Division Clerk or Typist, Stenographer Grade II, Upper Division Clerk or Cashier or Assistant Hostel Superintendent, Accountant or Internal Auditor or Care Taker or Hostel Superintendent or Purchase Assistant and Hindi Typist in the Directorate General of Training under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, namely:—

1. **Short title and Commencement**. -(1) These rules may be called the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training, (except Women Training), Group ‘C’ Non-Technical posts, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix**.- The number of the posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc**.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person

and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, economically weaker sections, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Multi-tasking Staff.	200*(2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	10th class pass from a recognised Board; or National Trade Certificate in any trade pproved by National Council for Vocational Training or State Council for Vocational Training. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

Whether age and educational qualificationsprescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage ofthe vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is itscomposition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training Member; and 3. Assistant Director of another Central Government office Member	Not applicable.

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Lower Division Clerk or Typist.	126*(2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,900-63,200).	Non-Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	7
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	12th class pass or equivalent from a recognised Board; and A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 w words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). The Skill Test norms only on computer. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: the qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) eighty-five per cent. by direct recruitment; (ii) ten per cent. by departmental qualifying examination; and (iii) five per cent. by seniority-cum fitness basis.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: - (i) eighty-five per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission; (ii) ten per cent. of the vacancies shall be filled from amongst Multi-tasking Staff in level -1 in the	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :-	Not applicable.

pay matrix (Rs. 18000-56900) and who possess 12th class pass from a recognised board and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of Departmental qualifying examination. **Note 1:** The maximum age-limit for eligibility for examination is up to the age forty-five years in case of general candidates and upto fifty years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. **Note 2:** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualifies at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) five per cent. of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Multi-tasking Staff who have completed three years regular service in the post in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900). Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years. Whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; and 3. Assistant Director of another Central Government office - Member.	

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Stenographer Grade II.	25* (2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for departmental candidates	(i) 12th class pass or equivalent from a recognized board or University; and

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(ii) Skill Test:- (a) dictation 10 minutes @ 80 words per minute; (b) transcription 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on computer. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff selection Commission or competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by directrecruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage ofthe vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which romotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship -Chairperson; 2. Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training -Member; and 3. Assistant Director of another Central Government office -Member	Not applicable.

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Upper Division Clerk or Cashier or Assistant Hostel Superintendent (these posts are inter-changeable).	99* (2025) *(Subject to variation pendent on workload).	General Central Service, Group 'C' Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500 – 81100).	Non-Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications equired for direct recruits.
(6)	7
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualificationsprescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by directrecruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage ofthe vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion; failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk or Typist in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years of regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in Microsoft Office from any Government recognised training institute. Note1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship - Chairperson; 2. Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; and 3. Assistant Director of another Central Government office - Member.	Not applicable.

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union territories administration. (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or OR (ii) with eight years service rendered after appointment to the post of Lower Division Clerk grade on a regular basis in level-2 in the pay matrix Rs. 19900-63200. (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board; and (ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). (iii) at least three years' experience in the field of establishment or accounts or store section or training related work. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on the deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**: the maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Accountant or Internal Auditor or Care Taker or Hostel Superintendent or Purchase Assistant. (these posts are inter-changeable).	62*(2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Non-Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualificationsprescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by directrecruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage ofthe vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion; failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion ot deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to beconsulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: - Upper Division Clerk or Cashier or Assistant Hostel Superintendent in level-4 in the pay matrix (Rs. Rs.25500 – 81100) with five years regular service in any one or more of the above-mentioned posts and having successfully completed two to four weeks training in Microsoft Office from any Government recognised training institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not shot of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1.Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship Chairperson; 2. Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; and 3. Assistant Director of another Central Government office - Member.	Not applicable.

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm

grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories administration,— (a)(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post of Upper Division Clerk or Cashier or Assistant Hostel Superintendent on a regular basis in level-4 in the pay matrix Rs. 25500-81100. (b) possessing the following educational qualifications and experience namely;— (i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board; and (ii)a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). (ii) possessing experience in Accounts or Audit or caretaker, Hostel or purchase relevant to the post. **Note 1**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3**: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selectionpost or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Hindi Typist.	01*(2025) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Not applicable.

391969/2026/O/o RDSDE GUJARAT

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	7
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the insructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	12th pass from a recognised Board and; A typing speed of 30 words per minute in Hindi and typing speed of 30 words per minute in English on computer. (30 words per minute correspond to 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word). The Skill Test norms only on computer. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** the qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is itscomposition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to beconsulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Regional Director In-charge Regional Directorate of Skill Development and Entrepreneurship- Chairperson; 2. Deputy Director Indian Skill Development Service, Directorate General of Training - Member; and 3. Assistant Director of another Central Government office - Member.	Not applicable.

[F. No. DGT-Estb/11/2023-O/oDEPT. SECY (ESTT.I) (E-61462)]

ISHWAR SINGH, Deputy Director General (Training)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-1s10054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.03.25 11:50:17 +05'30'

File No. RDSDEG/A-12011/Recruitment/Group-C/2026 (Computer No. 77178)
Generated from eOffice by UJJWAL BISWAS, DIRECTOR(U B), DIR(RDSDE GUJARAT), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) on 21/07/2026 01:37 pm